# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 166/2011

1. कैलाश बाई पुत्री हीरालाल पत्नि मदनलाल जाति गुर्जर निवासी रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां हाल निवासी बमोरी तहसील अंता जिला बारां
2. गीता बाई पुत्री हीरालाल पत्नि बिशनलाल जाति गुर्जर निवासी रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां हाल निवासी मालीहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा

...वादीगण

♠ बनाम ♠

01. बिरधीलाल
02. जगदीश — पुत्रान बाला
03. धनराज
04. राकेश
05. राजेन्द्र
06. छोटीबाई बेवा बाला
07. सुमित्रा
08. उर्मिला — पुत्रिया बाला
09. पार्वती

जातियान गुर्जर निवासीगण रायथल तह0 मांगरोल

10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 183, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट**

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री भंवर सिह गौड, श्री लवकुल गौड
वकील प्रतिवादीगण : श्री कर्मवीर शर्मा, श्री भगवान शर्मा
दायरा दिनांकः 11.02.2011 निर्णय दिनांक : 18.12.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादनीगण के पिता हीरालाल ने ग्राम रायथल में खसरा नं0 182/6/1 रकबा 10 बीघा आराजी निलामी में 1900 रू0 में खरीदी है जिसका पट्टा दिनांक 23.09.1968 को जारी किया गया। व दिनांक 18.09.1969 को इंतकाल वादनीगण के पिता हीरालाल के नाम खोलकर खाते दर्ज कर दी गयी। दौराने सेटलमेंट उक्त वर्णित खसरा नं0 182 रकबा 10 बीघा के नये खसरा नं0 1026 रकबा 1.62 है0 कायम किया गया। सेटलमेंट के दौरान वादनीगण के पिता की मृत्यु होने के कारण माता भूली बेवा हीरालाल व प्रतिवादीगण के पिता बाला उक्त खाते में बतौर खातेदार दर्ज किया गया। परन्तु सेटलमेंट विभाग की लापरवाही से उक्त आराजी को खातेदारी से गैरखातेदारी में दर्ज कर दिया। दौराने सेटलमेंट वादीगण के पिता हीरालाल की मृत्यु होने पर प्रतिवादीगण के पिता बाला ने भी सेटलमेंट विभाग के अधिकारियों से मिलकर अपना नाम वादनीगण की माता भूली के

[illegible] खाते ने बेईमानी पूर्वक दर्ज करवा लिया जिसका प्रतिवादीगण के पिता को कोई वैधानिक अधिकार [illegible] नही था। जो नाम खाते से खारिज करने योग्य है। प्रतिवादीगण के पिता बाला व वादनीगण की माता [illegible] की मृत्यु होने के पश्चात जमाबंदी सम्वत 2053–56 में प्रतिवादीगण ने अपना नाम खाते में बतौर गैर खातेदार की हैसियत से दर्ज करा लिया। वादनीगण के पिता हीरालाल की समस्त अचल सम्पत्ति की एक मात्र वारिस वादनीगण है। वादनीगण का नाम उसके पिता के देहान्त के बाद खाते में दर्ज नही किया गया। ना ही माता की मृत्यु के बाद दर्ज किया गया। अतः वादनीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित की जावें कि खाता संख्या 458 खसरा नं0 1026 रकबा 1.62 है0 आराजी ग्राम रायथल की जमाबंदी में प्रतिवादीगण का नाम हटाकर वादनीगण कैलाश व गीताबाई का नाम वर्तमान जमाबंदी में बतौर खातेदार दर्ज किया जावें व खसरा नं0 1026 रकबा 1.62 है0 को प्रतिवादीगण के कब्जे से मुक्त कर वादनीगण को कब्जा दिलाया जावें तथा प्रतिवादीगण व उनके वैध प्रतिनिधिगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 11.02.2011 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 ता 9 की ओर से अधिवक्ता श्री कर्मवीर शर्मा ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। वकील प्रतिवादीगण द्वारा आज दिनांक तक भी जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया है। प्रतिवादी कम 8, 9 की तलबी हेतु अखबार स्याहा करवाये जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक अनुपस्थित है। प्रतिवादी कम 1 लगायत 7 को दिनांक 29.04.2014 को रूक--रूक कर तीन मर्तबा आवाज दिलवाने के बावजूद भी अनुपस्थित है। अतः प्रतिवादी कम 1 ता 9 को एक्स पार्टी घोषित कर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में वादनी कम 1 कैलाश बाई पुत्री हीरालाल पत्नि मदनलाल जाति गुर्जर निवासी रायथल व घनश्याम पुत्र मदनलाल जाति गुर्जर निवासी रायथल व रामगोपाल पुत्र मूलीलाल जाति गुर्जर निवासी रायथल के साक्ष्य करवाये गये जो शामिल पत्रावली है। उक्त साक्ष्य वादनी के अनुसार ग्राम रायथल की आराजी खसरा नं0 खसरा नं0 1026 रकबा 1. 62 है0 आराजी को वादनीगण के खाते पृथक से दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। प्रकरण के संबंध में दिनांक 13.12.2018 को बहस वकील वादनीगण सुनी गयी। वकील वादनीगण द्वारा अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया गया जिनका उनके द्वारा अपने वादपत्र व गवाह के बयान में अंकन किया गया है। अतः मुताबिक वाद पत्र, बयान गवाह वादीगण, सुनी गयी बहस की रोशनी में वाद वादनीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार मांगरोल को

आराजी वाके ग्राम रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां की आराजी खाता संख्या 458 खसरा नं0 1026 रकबा 1.62 है0 आराजी में वादनी कम 1 कैलाश बाई पुत्री हीरालाल पत्नि मदनलाल जाति गुर्जर निवासी रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां हाल निवासी बमोरी तहसील अंता व वादनी कम 2 गीता बाई पुत्री हीरालाल पत्नि बिशनलाल जाति गुर्जर निवासी रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां हाल निवासी मालीहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार मांगरोल आराजी वाके ग्राम रायथल में खाता संख्या 458 खसरा नं0 1026 रकबा 1.62 है0 के राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदारान का नाम हजफ कर वादनी कम 1 कैलाश बाई पुत्री हीरालाल पत्नि मदनलाल जाति गुर्जर निवासी रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां हाल निवासी बमोरी तहसील अंता व वादनी कम 2 गीता बाई पुत्री हीरालाल पत्नि बिशनलाल जाति गुर्जर निवासी रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां हाल निवासी मालीहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा को खातेदार कृषक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादनीगण की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कर होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुन